2014 का विधेयक संख्यांक 190

[दि लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एंड अदर रिलेटेड लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का संशोधन करने के लिए और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का नाम लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अध्याय 1

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का संशोधन

धारा 4 का संशोधन।

2. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में,— 2014 का 1

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ग) लोक सभा में उस रूप में मान्यताप्राप्त विपक्ष का नेता या जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं है वहां उस सदन में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल का नेता—सदस्य;'';

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु विख्यात विधिवेत्ता को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और पुन: नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा।'';

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति या किसी विख्यात विधिवेत्ता का नामनिर्देशन केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि चयन समिति में कोई रिक्ति है या उसमें कोई सदस्य अनुपस्थित है।'';

(ग) उपधारा (3) में, दूसरे परन्तक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह भी कि खोजबीन समिति में किसी व्यक्ति की कोई नियुक्ति या खोजबीन समिति की कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि, यथास्थिति, चयन समिति में कोई रिक्ति है या उसमें कोई सदस्य अनुपस्थित है अथवा खोजबीन समिति में कोई व्यक्ति अनुपस्थित है।''।

धारा 10 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) में ''भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का'' शब्दों के स्थान पर, ''भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति का'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में ''भारत सरकार के अपर सचिव'' शब्दों के स्थान पर, ''भारत सरकार के संयुक्त सचिव'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 16 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड और स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(च) लोकपाल का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा और उसकी न्यायपीठें ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट होंगी जो लोकपाल विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण—''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र'' पद का वही अर्थ है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खंड (च) में उसका है।'। 1985 का 2

धारा 23 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में, ''या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6क'' शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा। 1946 का 25

6. मूल अधिनियम की धारा 44 में,— धारा 44 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) कोई लोक सेवक, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को,—

(अ) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट लोक सेवकों की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उपबंधित रीति में; 1951 का 43

(आ) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट लोक सेवकों की दशा में, यथास्थिति, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में या संविधान के अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 309 के उपबंधों के अधीन बनाए गए नियमों में उपबंधित रीति में; 1951 का 61

(इ) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट लोक सेवकों की दशा में, क्रमश: उनको लागू सुसंगत अधिनियमों और नियमों तथा विनियमों के अधीन उपबंधित रीति में; और

(ई) (अ) से (इ) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से न आने वाले लोक सेवकों की दशा में, ऐसी रीति में, जो लोकपाल द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,

अधिनियमों या नियमों अथवा विनियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन—

(क) अपनी सभी आस्तियों के संबंध में सूचना देगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित संपत्ति भी है—

(i) उसके स्वामित्वाधीन या उसको विरासत में मिली या उसके द्वारा उसके स्वयं के नाम में या उसके कुटुंब के किसी सदस्य के नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में अर्जित या उसके द्वारा पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर संपत्ति;

(ii) उसके विरासत में मिली या उसी प्रकार से उसको स्वामित्वाधीन, अर्जित या धारित जंगम संपत्ति;

(ख) उसके द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपगत अपने सभी ऋण और अन्य दायित्व;";

(ख) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (6) और स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी, लोकहित में, यह सुनिश्चित करेगा कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उस वर्ष की 31 अगस्त तक प्रकाशित कर दी जाए।"।

धारा 59 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ट) धारा 44 की उपधारा (6) के अधीन, लोक हित में, लोक सेवकों की आस्तियों और दायित्वों के संबंध में सूचना के प्रकाशन की रीति;"।

धारा 60 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घक) धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (ई) के अधीन लोक सेवकों द्वारा सक्षम प्राधिकारी को सूचना देने की रीति;"।

अध्याय 2

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का संशोधन

धारा 4खक का संशोधन।

9. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (जिसे इसमें इसके पश्चात् विशेष पुलिस अधिनियम कहा गया है) की धारा 4खक में,— 1946 का 25

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) इस अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन का संचालन करने के लिए एक अभियोजन निदेशालय होगा जिसका प्रमुख एक निदेशक होगा।

(2) निम्नलिखित व्यक्ति अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र होंगे, अर्थात्:—

(क) भारतीय विधि सेवा का ऐसा कोई अधिकारी, जो संयुक्त सचिव का पद धारण किए हुए है और जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (8) और उपधारा (9) के अर्थान्तर्गत विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है; 1974 का 2

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट किसी पात्र अधिकारी की अनुपस्थिति में, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम पन्द्रह वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया है और जिसके पास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और आर्थिक अपराधों से संबंधित ऐसी अन्य विधियों के अधीन अपराधों के संबंध में सरकार की ओर से मामलों को हाथ में लेने का अनुभव हो।"; 1988 का 49 2003 का 15

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(5) निदेशक और अभियोजन निदेशक में मतभेद होने की दशा में मामला, भारत के महान्यायवादी को, उसकी सलाह के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसी सलाह आबद्धकर होगी।

(6) अभियोजन निदेशक की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लेखबद्ध और अनुरक्षित की जाएगी।"।

नई धारा 7 का अन्त:स्थापन।

10. विशेष पुलिस अधिनियम की धारा 6क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नियम बनाने की शक्ति।

''7. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 4खक की उपधारा (6) के अधीन वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट को लेखबद्ध और अनुरक्षित करने की रीति;

(ख) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1), कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने हेतु संघ के लिए लोकपाल की स्थापना के लिए और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना के लिए समर्थकारी उपबंध बनाने हेतु अधिनियमित किया गया था और जो 16 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त हुआ है।

2. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (लोकपाल अधिनियम) की धारा 4 की उपधारा (1) में, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति का उपबंध है। धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) में के विद्यमान उपबंध के अनुसार उक्त चयन समिति के सदस्यों में से एक सदस्य लोक सभा में विपक्ष का नेता भी है। धारा 4 की उपधारा (1) में इस बारे में कि उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा विख्यात विधिवेत्ता के नामनिर्देशन की सिफारिश किस प्रकार की जाएगी या जब लोक सभा में उस रूप में मान्यताप्राप्त विपक्ष का कोई नेता नहीं है, तो उपधारा (3) के अधीन चयन समिति द्वारा खोजबीन समिति का गठन किस प्रकार किया जाएगा, कोई उपबंध नहीं है। अत:, लोकपाल अधिनियम की धारा 4 की (1) के खंड (ग) का संशोधन करना और उक्त समिति के सदस्य के रूप में लोक सभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता को सम्मिलित करने के लिए सामर्थ्यकारी उपबंध करना समुचित समझा गया। इसके अतिरिक्त, धारा 4 की उपधारा (1) में विख्यात विधिवेत्ता की कोई पदावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है। अत:, उपधारा (1) में एक परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह अधिकथित किया जा सके कि विख्यात विधिवेत्ता को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और वह पुन: नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा।

3. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुरूप, धारा 4 की उपधारा (2) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति या किसी विख्यात विधिवेत्ता का नामनिर्देशन केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि चयन समिति में कोई रिक्ति है या उसमें कोई सदस्य अनुपस्थित है। इसी प्रकार धारा 4 की उपधारा (3) में एक परंतुक जोड़ने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खोजबीन समिति में किसी व्यक्ति की कोई नियुक्ति या खोजबीन समिति की कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि, यथास्थिति, चयन समिति में कोई रिक्ति है या उसमें कोई सदस्य अनुपस्थित है या खोजबीन समिति में कोई व्यक्ति अनुपस्थित है।

4. धारा 44 का, धारा 59 और धारा 60 में पारिणामिक संशोधनों के साथ, निम्नलिखित कारणों से संशोधन करने का प्रस्ताव है, अर्थात्:—

(क) अधिनियम की धारा 14 में ''लोक सेवक'' को परिभाषित किया गया है, जिसमें, अन्य के साथ-साथ, प्रधान मंत्री, मंत्रियों और संसद् के प्रत्येक सदन के सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। अधिनियम की धारा 44 में लोक सेवकों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा का उपबंध किया गया है। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) में विस्तृत उपबंध किए गए हैं, जिनमें संसद् के सदस्यों के निर्वाचनों के संचालन, सदनों की सदस्यता के लिए उनकी अर्हताएं और निरर्हताएं, भ्रष्ट

आचरण और अन्य अपराधों आदि के बारे में उपबंधित है। उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित नियमों में जंगम और स्थावर संपत्ति के पूर्ण ब्यौरे देते हुए शपथ पत्र फाइल करने और मिथ्या शपथ पत्र आदि फाइल करने के परिणामों के बारे में विस्तृत उपबंध हैं। इस दृष्टि से यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां तक उनकी आस्तियों और दायित्वों के संबंध में सूचना फाइल करने की रीति का संबंध है, लोकपाल अधिनियम के अधीन कोई भिन्न उपबंध करने के बजाय, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबंध लागू होने चाहिएं। इससे लोकपाल अधिनियम और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के बीच सुसंगति रहेगी।

(ख) सरकारी सेवकों की दशा में, आरंभ करने के समय और प्रति वर्ष, दोनों दशाओं में, संपत्ति संव्यवहारों का ब्यौरा देते हुए, संविधान के अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 309 तथा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) जैसे संसद् के अधिनियमों के अधीन विरचित नियमों के अधीन संपत्ति की विवरणियां फाइल करना अपेक्षित है। ऐसे विद्यमान नियम, जो सरकारी सेवकों के संपत्ति संव्यवहारों को विनियमित करते हैं, लोकपाल अधिनियम की धारा 44 के अधीन जो उपबंध किया जाना आशयित है, उसकी तुलना में बहुत विस्तृत और व्यापक हैं। अत:, उक्त अधिनियम और नियमों को लोकपाल अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अंतर्गत आने वाले प्रवर्गों के लोक सेवकों के अतिरिक्त, कानूनी और स्वायत्त निकायों के लोक सेवक भी हैं, जिनका आचरण, उनको लागू सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के निबंधनानुसार विनियमित होता है और उनको भी लोकपाल अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाना अपेक्षित है।

(घ) उपरोक्त (क) से (ग) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से न आने वाले शेष प्रवर्गों (अर्थात् गैर सरकारी संगठन आदि) के लोक सेवकों के लिए, उनके द्वारा आस्तियों और दायित्वों के बारे में सूचना देने संबंधी विषयों के लिए समुचित विनियम विरचित करने की शक्ति समुचित रूप से लोकपाल में निहित होनी चाहिए जो या तो ऐसे प्रवर्गों के लोक सेवकों के लिए सरकारी सेवकों को लागू किन्हीं नियमों या विनियमों को विस्तारित कर सकेगा या विनियम बनाने की अपनी शक्ति के अधीन पृथक् विनियमों का उपबंध कर सकेगा।

तद्नुसार, ऐसी स्कीम का उपबंध करने के लिए धारा 44 की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन लोक सेवकों द्वारा सूचना फाइल करने के उपबंधों को संबंधित अधिनियमों, नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके, जो भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लोक सेवकों को लागू होते हैं। केंद्रीय सरकार को ऐसी रीति, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लोक सेवकों द्वारा दी गई सूचना को लोक हित को ध्यान में रखते हुए उनके सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, विहित करने हेतु समर्थ बनाने के लिए धारा 44 की उपधारा (6) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। लोकपाल अधिनियम की धारा 10, धारा 16 और धारा 23 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

5. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 4खक में, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा अंत:स्थापित की गई है, एक अभियोजन निदेशालय की, जिसका प्रमुख अभियोजन निदेशक होगा, स्थापना का उपबंध है, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के निदेशक के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा। धारा 4खक के उपबंधों में अभियोजन निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता की कोई शर्तें

अधिकथित नहीं की गई हैं। इस बात को देखते हुए धारा 4खक की उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर नई उपधाराएं प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त पद पर नियुक्ति के लिए समुचित पात्रता की शर्तों का उपबंध किया जा सके। धारा 4खक की उपधारा (4) के पश्चात् दो नई उपधाराएं अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन में अभियोजन निदेशक की कार्य करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली; डॉ॰ जितेन्द्र सिंह

15 दिसंबर, 2014

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 7, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (लोकपाल अधिनियम) की धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को ऐसी रीति विहित किए जाने के प्रयोजन के लिए, जिसमें सक्षम प्राधिकारी, लोक हित में यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 44 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना प्रकाशित की जाए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके।

2. विधेयक का खंड 8, लोकपाल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) में एक नया खंड (घक) अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे लोकपाल को धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (ई) के अधीन लोक सेवकों द्वारा सक्षम प्राधिकारी को सूचना देने की रीति विनिर्दिष्ट करने हेतु विनियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके।

3. विधेयक का खंड 10, केंद्रीय सरकार को, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। उक्त खंड के उपखंड (2) में यह विनिर्दिष्ट है कि ऐसे नियमों में धारा 4खक की उपधारा (6) के अधीन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन में अभियोजन निदेशक की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के अभिलेखन और अनुरक्षण की रीति का उपबंध किया जा सकेगा। विधेयक के खंड 10 के उपखंड (3) में यह उपबंधित है कि प्रस्तावित नई धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

4. वे विषय, जिनकी बाबत प्रस्तावित संशोधनों के अधीन नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का अधिनियम संख्यांक 1) से उद्धरण

* * * * *

चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति।

4.(1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी।

* * * * *

(ग) लोक सभा में विपक्ष का नेता—सदस्य;

* * * * *

(ङ) ऊपर खंड (क) से खंड (घ) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता—सदस्य।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति है।

(3) चयन समिति, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के प्रयोजनों के लिए और उस रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए कम से कम सात प्रतिष्ठित व्यक्तियों की और जिनके पास भ्रष्टाचार-निरोध नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति निर्माण, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी हैं, विधि और प्रबंधन से संबंधित विषयों में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो चयन समिति की राय में लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने में उपयोगी हो सकेगा, विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता है, एक खोजबीन समिति का गठन करेगी:

परंतु खोजबीन समिति के पचास प्रतिशत से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, जनसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों से संबद्ध व्यक्तियों और महिलाओं में से होंगे:

परंतु यह और कि चयन समिति, खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति पर विचार कर सकेगी;

* * * * *

लोकपाल का सचिव, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद।

10. (1) लोकपाल का सचिव, भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का होगा, जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होगा, जो भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं होगा, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

* * * * *

लोकपाल की न्यायपीठों का गठन।

16. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

* * * * *

(च) लोकपाल की न्यायपीठें साधारणतया नई दिल्ली में और अन्य स्थानों पर अधिविष्ट होंगी, जो लोकपाल, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

* * * * *

1974 का 2 1946 का 25 1988 का 49

23. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6क या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, लोकपाल को धारा 20 की उपधारा (7) के खंड (क) के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्ति होगी। अभियोजन प्रारंभ करने के लिए मंजूरी देने की लोकपाल की शक्ति।

* * * * *

अध्याय 13

आस्तियों की घोषणा

* * * * *

44. (1) * * * * * आस्तियों की घोषणा।

(2) कोई लोक सेवक, उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में सूचना देगा,—

(क) ऐसी आस्तियां, जिनका वह, उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक, संयुक्तत: या पृथक्त:, स्वामी या हिताधिकारी हैं;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी तथा अपने आश्रित बालकों के दायित्व।

* * * * *

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन सूचना और उपधारा (4) के अधीन वार्षिक विवरणी, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रस्तुत की जाएगी।

(6) सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक कार्यालय या विभाग के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी विवरण उस वर्ष की 31 अगस्त तक ऐसे मंत्रालय या विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए गए हैं।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''आश्रित बालक'' से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं, जिनके पास उपार्जन के कोई पृथक् साधन नहीं हैं और अपनी जीविका के लिए पूर्णत: लोक सेवक पर आश्रित है।

* * * * *

59. (1) * * * * * नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

* * * * *

(ट) धारा 44 की उपधारा (5) के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा फाइल की जाने वाली वार्षिक विवरणी का प्ररूप;

* * * * *

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम संख्यांक 25) से उद्धरण

*   *   *   *   *

अभियोजन निदेशक।

4खक. (1) इस अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन का संचालन करने के लिए एक अभियोजन निदेशालय होगा। जिसका प्रमुख एक निदेशक होगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं होगा।

(2) अभियोजन निदेशक, निदेशक के समग्र अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा।

*   *   *   *   *

GMGIPMRND—3697LS(S3)—16-12-2014.

लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
3	27	उसका	उसके
3	29	ऋण	ऋणों
3	30	दायित्व ; ";	दायित्वों की सूचना देगा ; ";
7	9	में, आरंभ	में, सेवा आरंभ